

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

सं. एफ.6 (179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/2ई

जयपुर, दिनांक: 27.03.2006

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं.11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना सं. एफ.6(179)/परि/टैक्स/एच.क्यू./95/2सी दिनांक 1.3.2002 को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवंत सिंह भाटी)  
शासन उप सचिव

सं. एफ.6 (179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/2ई

जयपुर, दिनांक: 27.03.2006

**प्रतिलिपि**— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.03.2006 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।

शासन उप सचिव